न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

ावेदन 127 / 2013

1. मूर्ति मंदिर श्री श्यामजी वाके ग्राम मेई राजनपुरा तहसील दांतारामगढ सीकर अव्यस्क जरिये पुजारी मालीराम पुत्र रघुनाथ प्रसाद जाति स्वामी निवासी मेई राजनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)

—प्रार्थी / आवेदक

बनाम

1. मनोहर सिंह पुत्र उम्मेद सिंह आयु 42 साल
2. उम्मेद सिंह पुत्र पुत्र मूल सिंह आयु 65 साल
3. दयाल सिंह पुत्र उम्मेद सिंह आयु 30 साल
4. बजरंग सिंह पुत्र पेमसिंह आयु 30 साल

} समस्त जाति राजपूत निवासी मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

5. भंवर सिंह पुत्र विजयसिंह आयु 40 साल जाति राजपूत निवासी करणवता की ढाणी तन भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

—अप्रार्थी / अनावेदकगण

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिंनाक :— 25.07.2016**

आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार से है :—

1. यह है कि कृषि भूमि ख.न. 20 रकबा 4.39 हैक्टर, ख. नं. 349 रकबा 0.21 हैक्टर, ख. नं. 350 रकबा 0.02 हैक्टर, ख.नं. 351 रकबा 0.40 हैक्टर, ख.नं. 352 / 742 रकबा 0.18 हैक्टर, ख.नं. 363 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं. 364 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं. 365 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.चाह, ख.नं. 366 रकबा 0.04 हैक्टर, ख.नं. 367 रकबा 1.50 हैक्टर, ख. नं. 368 रकबा 1.43 हैक्टर, ख.नं. 369 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं.627 / 761 रकबा 0.28 हैक्टर किता 13 कुल रकबा 8.45 हैक्टर तथा ख.नं. 357 रकबा 0.20 हैक्टर तन ग्राम मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमियां मूर्ति मंदिर के कब्जे काष्त व खातेदारी में अर्से दराज से लम्बे समय से प्रथम सेटलमेंट के पूर्व से ही बजमाना जागीर कलान्तर से निरन्तर व निर्बाध रूप से चली आ रही है । मूर्ति

उप खण्ड अधिकारी
दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

मंदिर श्री श्याम बाबा का प्राचीन मंदिर ग्राम मेई में बना हुआ है उक्त मंदि की सेवा पूजा व प्रबन्ध व्यवस्था हेतु ग्राम मेई राजनपुरा, दानजीकाबास के ग्रामवासियों द्वारा एक कमेटी बना रखी है । उक्त मंदिर की सेवा पूजा ग्रामवासियों द्वारा गठित कमेटी द्वारा नियुक्त पुजारी स्व. श्री रघुनाथ जी स्वामी निवासी मेई राजनपुरा करते थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात पिछले 10 वर्षो से उनका पुत्र मालीराम सेवा पूजा करता आ रहा है । मंदिर मूर्ति शाशवत नाबालिंग है इसलिए मंदिर मूर्ति की भूमियों को जुताई हेतु मंदिर कमेटी द्वारा 3 वर्ष बटाई पर काश्त करने हेतु अनावेदक संख्या 1 से 5 को रूपये 15000– प्रतिवर्ष की बटाई पर दिया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 5 भू माफिया किस्म के व्यक्ति हैं इनके मन में बेईमानी आ गई है इसलिए नाबालिंग मंदिर की भूमि को हडपने का मन बना लिया है इसलिए उक्त मंदिर मूर्ति की भूमियों को अपने कब्जे में रखकर हडपने की फिराक में हैं जिसका अनावेदकगण को कोई हक अधिकार नहीं है इसलिए मंदिर मूर्ति की भूमियों को वादी मूर्ति मंदिर के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी करने बलपूर्वक कब्जा करने, अवैध अतिचार करने, उक्त भूमियों में किसी प्रकार का कच्चा पक्का नव निर्माण करने व कुए से फसल की सिचाई करने में प्रतिवादीगण को दखल नहीं करने से पाबन्द किया जावे । के नाम दर्ज

1 आवेदन दर्ज रजि0 किया गया तथा अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी सं. 1 ता 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे इसलिए इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेष पारित किये गये ।

2 हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/ आवेदक की एक पक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा दोनो बिन्दुओं पर मनन करने के पश्चात कृषि भूमि ख.न. 20 रकबा 4.39 हैक्टर, ख. नं. 349 रकबा 0.21 हैक्टर, ख.नं. 350 रकबा 0.02 हैक्टर, ख.नं. 351 रकबा 0.40 हैक्टर, ख.नं. 352/742 रकबा 0.18 हैक्टर, ख.नं. 363 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं. 364 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं. 365 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.चाह, ख.नं. 366 रकबा 0.04 हैक्टर, ख.नं. 367 रकबा 1.50 हैक्टर, ख.नं. 368 रकबा 1.43 हैक्टर, ख.नं. 369 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं.627/761 रकबा 0.28 हैक्टर किता 13 कुल रकबा 8.45 हैक्टर तथा ख.नं. 357 रकबा 0.20 हैक्टर तन ग्राम मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। ग्राम मेई की जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थी मंदिर श्री श्यामजी के नाम से खातेदारी तथा कब्जा काश्त साबित है। **चूंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिंग है जिसके खातेदारी अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित आराजियात कृषि भूमि ख.न. 20 रकबा 4. 39 हैक्टर, ख. नं. 349 रकबा 0.21 हैक्टर, ख.नं. 350 रकबा 0.02 हैक्टर, ख.नं. 351 रकबा 0.40 हैक्टर, ख.नं. 352/742 रकबा 0.18 हैक्टर, ख.नं. 363 रकबा 0.**

उप खण्ड अधिकारी
दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

03 हैक्टर, ख.नं. 364 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं. 365 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.चाह, ख.नं. 366 रकबा 0.04 हैक्टर, ख.नं. 367 रकबा 1.50 हैक्टर, ख.नं. 368 रकबा 1.43 हैक्टर, ख.नं. 369 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं.627/761 रकबा 0.28 हैक्टर किता 13 कुल रकबा 8.45 हैक्टर तथा ख.नं. 357 रकबा 0.20 हैक्टर तन ग्राम मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के आवेदन में सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थी/आवेदक के पक्ष में बनती है अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से तादौराने दावा पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण का आवेदन अं.धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थगन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण/अनावेदकगण को तादौराने दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात कृषि भूमि ख.न. 20 रकबा 4.39 हैक्टर, ख. नं. 349 रकबा 0.21 हैक्टर, ख.नं. 350 रकबा 0.02 हैक्टर, ख.नं. 351 रकबा 0.40 हैक्टर, ख.नं. 352/742 रकबा 0.18 हैक्टर, ख.नं. 363 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं. 364 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं. 365 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.चाह, ख.नं. 366 रकबा 0.04 हैक्टर, ख.नं. 367 रकबा 1.50 हैक्टर, ख.नं. 368 रकबा 1.43 हैक्टर, ख.नं. 369 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं.627/761 रकबा 0.28 हैक्टर किता 13 कुल रकबा 8.45 हैक्टर तथा ख.नं. 357 रकबा 0.20 हैक्टर तन ग्राम मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जो प्रार्थी मंदिर मूर्ति श्री श्यामजी की खातेदारी भूमियां हैं के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 किसी प्रकार की दखलंजी नहीं करें । मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील कार्यवाही मूल दावा के संलग्न हो।

यह आवेदन आज दिनांक 25.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner